

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 04.09.24

क्रमांक रीडर/2024/ 5252

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 बाबूलाल 2 खेमराम 3 जगदीश पिसरान सागरमल 4 जसवन्त पुत्र पुखराज 5 दिनेशकुमार पुत्र सागरमल 6 धापूदेवी पत्नी पुखराज 7 नरेन्द्रकुमार 8 हीरालाल पिसरान सागरलाल जाति सुनार निवासी झाक तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर।

1 रूपाराम 2 हुकमाराम पिसरान ठाकराराम 3 पुखाराम 4 खेताराम पिसरान नवलाराम 5 जसोदादेवी पत्नी नवलाराम 6 आतमाराम 7 मंगलाराम पिसरान खानुराम 8 लांगाराम पुत्र सालगाराम 9 वीरमाराम पुत्र गुणेशाराम निवासी झाक 10 ईसा 11 वरियाम 12 शाहमीर 13 ईलियाम पिसरान रामदान 14 कालु पुत्र मुवा 15 खातु पत्नी मीरा खां 16 मीरा 17 साधी पिसरान अनड जाति सिधि निवासी भाडखा तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 167/2024

दिनांक- 29.08.24

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा झाक पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 487/145 रकबा 9.6271 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदर सिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 04.09.24

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5253-56

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी झाक तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी बाबूलाल पुत्र सागरमल वगैराह निवासी झाक तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी रूपाराम पुत्र ठाकराराम वगैराह निवासी झाक तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर